मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित,भोपाल

सशक्त सहकारिता; समृद्ध मध्यप्रदेश

APEX BANK

उपविधियाँ

अपेक्स बैंक, मुख्यालय, टी.टी. नगर, भोपाल 462–003

M.P. Rajya Sahakari Bank Maryadit
BHOPAL

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल

उपविधियाँ

(1) <u>नाम एवं पता एवं कार्यक्षेत्र</u> :–

इस सोसायटी का नाम "मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित" है। इसका पंजीकृत पता न्यू मार्केट टी.टी.नगर, भोपाल रहेगा । इस सोसायटी का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में रहेगा ।

(2) <u>परिभाषाएँ</u> :– इस उपविधियों में जब तक कोई बात, विषय अथवा संदर्भ के प्रतिकूल न हो :–

क. **"अधिनियम"** से तात्पर्य मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम 1960 (1961 का कमांक 17) है।

ख. **"नियम"** से तात्पर्य उन नियमों से है जो कि अधिनियम के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित है।

ग. **"बैंक"** से तात्पर्य मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित है।

घ. **"संचालक मण्डल"** से तात्पर्य संचालक मण्डल या अन्य कोई समिति से है, जिसका गठन बैंक के कार्य संचालन हेतु इन उपविधियों के अंतर्गत हुआ है।

ड. **"सदस्य"** से तात्पर्य उनसे है जिन्हें इन उपविधियों के अनुसार सदस्यता प्रदान कर दी गयी हो ।

1. **"नाममात्र के सदस्य"** से तात्पर्य उस व्यक्ति, सहकारी **सोसायटी अथवा सहकारिता** से है, जिसे इन उपविधियों के अनुसार नाममात्र की सदस्यता प्रदान कर दी गयी हो, परंतु उसका बैंक की आमसभा, प्रबंध अथवा लाभ में कोई भाग न होगा ।

2. **"व्यक्ति"** से तात्पर्य निजी स्वामित्व या पंजीकृत या अपंजीकृत साझेदारी फर्म या संयुक्त हिन्दु परिवार या कोई पंजीकृत प्रमण्डल है।

च. <u>**"पंजीयक"**</u> से तात्पर्य वह व्यक्ति है जो अधिनियम के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य में सहकारी संस्थाओं के पंजीयक<u>/**रजिस्ट्रार**</u> के कर्त्तव्य पालन हेतु नियुक्त किया गया हो।

M.P. Rajya Sahakari Bank Maryadit * BHOPAL *

छ **"राज्य शासन का मनोनीत व्यक्ति"** से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो **अधिनियम एवं** इन उपविधियों के प्रावधानों के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य शासन की ओर से शासन का प्रतिनिधित्व करने के लिये नामांकित किया गया हो ।

ज. **" केन्द्रीय बैंक "** से तात्पर्य जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों से है।

झ. **"सोसायटी"** से तात्पर्य अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्व या पंजीबद्व मानी गयी **सहकारी** संस्था से है।

ट. **प्रबंध संचालक** से अभिप्रेत है धारा 49–ड. के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति और जिसे संचालक मण्डल के अधीक्षण, नियंत्रण और निर्देशन के अध्यधीन रहते हुए, संचालक मण्डल द्वारा सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंध सौंपा गया है "।

ठ. **" अन्य पिछड़े वर्ग "** से अभिप्रेत है ऐसे पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों का प्रवर्ग जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जावे ।

ड. **" प्रतिनिधि "** से अभिप्रेत है किसी सोसायटी का कोई ऐसा सदस्य जो उस सोसायटी का प्रतिनिधित्व अन्य सोसायटी में करें ।

ढ. **" अनुसूचित क्षेत्र "** से अभिप्रेत है कि वह क्षेत्र जो अनुसूचित क्षेत्र (बिहार, गुजरात, मध्यप्रदेश और उड़ीसा राज्य) आदेश 1977 के अधीन घोषित किया गया है ।

ण. **"विनिर्दिष्ट पद"** से अभिप्रेत है अध्यक्ष या सभापति और उपाध्यक्ष या उप – सभापति का पद;

(3) 1 **<u>उद्देश्य</u>** :– जिन उद्दउेश्यों के लिये यह बैक स्थापित हुआ है, निम्नानुसार है :–

क. अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत स्थित समस्त सहकारी केन्द्रीय बैंकों एवं **<u>सोसायटियों</u>** के संतुलन केन्द्र के रूप में कार्य करना ।

ख. अपने कार्यक्षेत्र में सक्षम कृषकों तथा अन्य व्यक्तियों के लिये ऋण के प्रावधान की व्यवस्था करना एवं सामान्यतः **<u>शीर्ष सोसायटी</u>** के रूप में कृषि तथा विपणन साख ऋण, आवासीय गृहों **के निर्माण एवं क्रय, उपभोक्ता ऋण, व्यवसायिक ऋण, परियोजना ऋण, शैक्षणिक ऋण एवं अन्य सभी प्रकार के ऋण** तथा उसके लिये **सदस्यों** द्वारा तत्संबंधी प्रभावी कार्यपालन सुनिश्चित करना ।

M.P. Rajya Sahakari Bank Maryadit BHOPAL

ग. सहकारिता के सिद्धांतो के आधार पर सदस्यों के आर्थिक हितों की उन्नति करना तथा किसी भी **सोसायटी** के कार्य संचालन हेतु सुविधाएँ प्रदान करना ।

घ. उन सभी व्यापारिक कार्यों एवं व्यवहारों का परिचालन एवं उपक्रमण करना जो अधिनियम के अधीन पंजीकृत किसी भी केन्द्रीय बैंक द्वारा चालित एवं उपक्रमित किये जा सकें।

ङ. बैंकिग व्यापारों का परिचालन करना जिसमें ऋणार्जन, धनोत्थापन एवं प्राप्ति तथा पूर्ण प्रापण (डिस्काउंटिग) द्वारा अंतर्देशीय विनिमय व्यापार, विनिमय पत्रों अथवा परिक्राम्य विलेखों का क्रय–विक्रय एवं व्यवहार सम्मिलित है । सहकारी बैंकों, **सोसायटियों** एवं अन्यों के मांग विकर्षो का भुगतान, तार हस्तांतरण, संप्रेषणों के संग्रहणों का उपक्रमण करना ।

च. **सदस्यों** को ऋण प्रदान करना तथा उनके लिये प्रतिभूति सहित अथवा बिना प्रतिभूति के अधिविकर्ष एवं नगद साख सीमा खोलना ।

छ. केन्द्रीय **सोसायटियों** एवं बैंकों के अतिरिक्त सभी व्यक्तियों को, जो बैंक के सदस्य हो, प्रन्यासी प्रतिभूतियों (ट्रस्टी सिक्यूरिटीस) अथवा भारतीय प्रन्यास अधिनियम की धारा 20 में वर्णित अन्य प्रतिभूतियों पर, स्वर्ण एवं रोप्य दंडिकाओं अथवा रत्नों एवं आभूषणों पर, भवन, सम्पत्ति, अनुज्ञप्त भंडागार रसीदों (लाइसन्सड वेयर हाउस रिसीप्ट) अथवा विपण्य सामग्रियों एवं अनुमोदित प्रमण्डलों या डॉकघरों के बचत पत्रों, जीवन बीमा पत्रों पर धन उधार देना एवं अधिविकर्ष स्वीकृत करना या नगद साख खोलना ।

ज. अतिरिक्त अवशिष्ट निधियों के विनियोजनार्थ भारत शासन अथवा राज्य शासन की प्रतिभूतियों या भारतीय प्रन्यास अधिनियम (इंडियन ट्रस्ट एक्ट) की धारा 20 की उपधारा (अ) (ब) (स) एवं (ड) के अंतर्गत निर्दिष्ट अन्य प्रतिभूतियों का क्रय एवं विक्रय करना तथा सहकारी संस्थाओं के लिये अभिकर्ता के रूप में ऐसी प्रतिभूतियों का क्रय एवं विक्रय करना।

झ. संघटकों से शासकीय प्रपत्र, अंश ऋण पत्र एवं निक्षेप प्राप्ति–पत्र एवं बहुमूल्य वस्तुएँ स्वत्वाधिकार पत्र, बीमा पत्र आदि सुरक्षित अधिरक्षणार्थ अथवा ब्याज वसूली हेतु निशुल्क अथवा सशुल्क प्राप्त करना ।

M.P. Rajya Sahakari Bank ... BHOPAL

ञ. संगठकों की ओर से शासकीय एवं अन्य सुनहरी प्रतिभूतियों, अंश तथा संयुक्त पूंजी प्रमण्डलों एवं अन्य संयुक्त निकायों के ऋण पत्रों का क्रय एवं विक्रय करना।

ट. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के ऋण पत्रों को अधिदान देना तथा उन्हें अधोलिखित करना । म.प्र. राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को शासकीय प्रत्याभूति के साख अथवा उसके बिना ही ओवर ड्राफ्ट सुविधा करना ।

ठ. किसी भी केन्द्रीय बैंक अथवा सोसायटी का प्रबंध भार प्रतिबंधों एवं उस विधि से उस अवधि तक जो निश्चित की गयी हों, वहन करना यदि पंजीयक द्वारा सदस्यों में से किसी सोसायटी हेतु कोई आदेश हो अथवा कि कोई बैंक अथवा सोसायटी स्वेच्छा से अपनी व्यवस्था इस बैंक को न्यस्त करें ।

ड. पंजीयक द्वारा निर्धारित प्रतिबंधों पर बैंक की सम्बद्ध ऋणी **सोसायटियों** के परिसमापन कार्य का उपक्रम करना ।

ढ. केन्द्रीय बैंकों एवं अन्य **सोसायटियों** की अंशपूंजी को यथा आवश्यकता अधिदान देना ।

ण. **संचालक मण्डल** की पूर्वानुमति तथा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुमोदन से अपने कार्यक्षेत्र के किसी भी भाग में शाखाएँ खोलना।

प. पंजीयक की पूर्व स्वीकृति से अपने कार्यक्षेत्र की किसी भी सहकारी सोसायटी की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों को प्रतिग्रहण करना ।

फ. शासन से अनुज्ञा पत्र प्राप्त किन्हीं यंत्रजातों एवं /या अन्य आवश्यक अभियाचित वस्तुओं के आयात के लिये साख पत्रों की प्रत्याभूति देना अथवा यंत्रजातों एवं/या अन्य अभियाचित वस्तुओं के क्रय हेतु धनराशि के भुगतान हेतु प्रत्याभूति देना अथवा कि उक्त अधिनियम या ऐसे किसी अन्य अधिनियम के अधीन , जो भारतीय संघ में प्रचलित हो, उसके अंतर्गत सहकारी **सोसायटियों** या सदस्यों या अन्य संघटकों एवं बैंकों के निक्षेपकों की ओर से सामान्यतः अधिकोषीय (बैंकर्स) प्रत्याभूति देना ।

ब. साख पत्र प्रदान एवं निर्गमन करना ।

भ. इस बैंक के किसी भी सदस्य को स्टेट बैंक आफ इंडिया , राज्य शासन अथवा अन्य माध्यमों द्वारा प्रदत्त ऋण या साख प्रत्याभूति देना जो कि निर्धारित सीमाओं एवं अनुबंधों के अंतर्गत हो उस पर वर्तन लेना ।

M.P. Rajya Sahakari Bank ... BHOPAL

म. बैंक के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके आश्रितों एवं संबंधितों के हित साधन के लिये निधियों की स्थापना एवं आलम्ब करना अथवा उनकी स्थापना में सहायता करना तथा **संचालक मण्डल** के अनुमोदन से उसका उपयोग करना ।

त. अध्यर्थना की पूर्ति अथवा आंशिक पूर्ति से बैंक के आधिपत्य में आयी हुई किसी सम्पत्ति की व्यवस्था, विक्रय एवं विमोचन करना और किसी भी ऐसी सम्पत्ति या सम्पत्तियों में स्वत्व, आगम या हित जो किसी ऋण की प्रतिभूति के रूप में हो अथवा प्रतिभूति के अंश के रूप में हो या ऐसी प्रतिभूति से संबंधित हो, को अधिग्रहण करना, अधिकार में रखना और सामान्यतः उस पर व्यवहार करना ।

थ. निक्षेपकों के लिये निम्नलिखित प्रतिभूतियों के आधार पर अधिविकर्ष स्वीकार करना या नगद साख खोलना अथवा धन उधार देना :—

1. सावधि निक्षेप
2. शासकीय प्रतिभूतियॉ
3. अन्य प्रतिभूतियॉं एवं **संचालक मण्डल** द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार निक्षेपकों को, जो कि कम से कम नाममात्र के सदस्य हो प्रतिभूति रहित अधिविकर्ष (क्लीन ओव्हर ड्राफट) स्वीकार करना ।

द. अपने सेवारत कर्मचारियों एवं सम्बद्व **सोसायटियों** के सेवारत कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण की सुविधाओं का प्रावधान करना तथा सहकारी साहित्य के पुस्तक भंडार की व्यवस्था करना ।

ध. सम्बद्ध जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों एवं अन्य सहकारी **सोसायटियों** में अधिकारियों की व्यवस्था करना एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की पदस्थापना पंजीयक के पूर्व परामर्श से करना।

न. अधिकोषण नियमन अधिनियम (बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट) सहकारी **सोसायटियों** के अर्थप्रयोज्य के अनुरूप कोई भी अन्य कार्य व्यवहार करना ।

य. संचालक मण्डल के अनुमोदन से चल लाभ या तदउद्देश्य से पालित अन्य किसी निधि में से दान या अधिदान देना ।

र. 1. बैंक व्यवसाय के हित में सहकारी एवं अन्य संस्थाओं का सदस्य होना जो कि उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हों तथा उनके अंश क्रय करना एवं सदस्य के नाते उन्हें आवश्यक अभिदान/अंशदान की राशि प्रदान करना ।

2. सामान्यतः अन्य ऐसे कार्यों का उपक्रम करना जो कि उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हों ।

M.P. Rajya Sahakari Bank Maryadit BHOPAL

ल. बैंक में करेंसी चेस्ट तथा स्मॉल क्वाइन डिपो खोलना, स्थापित करना, उसका रख–रखाव एवं संचालन करना तथा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ प्रशासकीय एवं अन्य व्यवस्थाएँ जो कि उक्त गतिविधियों के संचालन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत आवश्यक हों, के संबंध में आवश्यक अनुबंध, कार्यवाही एवं शर्ते आदि स्वीकार करना ।

व. समाज के कमजोर वर्गों के शोषण को रोकना तथा उनके सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना ।

(1) बैंक अपनी बीमा योजना प्रारंभ कर सकेगी तथा अन्य बीमा कंपनियों के कारपोरेट एजेन्ट/रेफरल एजेन्ट के रूप में कार्य करेगी।

(2) बैंक म्युचअल फण्ड के लिए उपभोक्ताओं की सेवा प्रदाता का कार्य म्युचअल फण्ड कंपनी के एजेण्ट के रूप में कार्य सकेगी ।

(3) गोल्ड बाण्ड तथा गोल्ड क्वाईन का व्यवसाय स्वयं या अभिकर्ता के रूप में करना ।

(3) 2 <u>कर्त्तव्य</u>

क. सहकारी सिद्धान्तों का पालन हो, इसके सुरक्षा उपाय करना ।

ख सहकारी साख संस्थाओं को संप्रवर्तित करना और संगठित करना और इस प्रयोजन के लिये आदर्श उपविधियॉ विरचित करना और सोसायटियों के विचारण हेतु विभिन्न विनियम और नीतियॉ बनाने के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाना ।

ग. सहकारी साख संस्थाओं के पदाधिकारियों सदस्यों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण, शिक्षण और जानकारी की व्यवस्था करना और सहकारी सिद्धान्तों प्रचार करना।

घ. अनुसंधान और मूल्यांकन करना तथा सदस्य **<u>सोयायटियों</u>** के लिये भावी विकास योजनाओं को तैयार करने में सहायता करना ।

ड़ सदस्य सोसायटियों के बीच सामन्जस्यपूर्ण संबंध विकसित करना ।

च. सदस्य सोसायटियों के बीच आपस के तथा सोसायटी और उसके सदस्यों के बीच के विवादों के निपटाने में सहायता करना ।

M.P. Rajya Sahakari Bank Maryadit BHOPAL

छ. सदस्य सोसायटियों के हितों का प्रतिनिधित्व करना और सोसायटियों के अनुकूल नीतियों और विधान के लिये अभिमत प्राप्त करने के प्रयास करना।

ज. अपने सदस्यों की ओर से कारोबारी सेवायें हाथ में लेना ।

झ. **संचालक मण्डल** के सम्मेलनों में जिसमें सदस्य सोसायटियॉ आमंत्रित की जाती हैं में भाग लेने के साथ ही सदस्य सोसायटियों को सहयोग एवं प्रबंधकीय विकास संबंधी सेवायें प्रदान करना ।

ञ. सदस्य सोसायटियों में यथासमय वार्षिक संपरीक्षा का संचालन सुनिश्चित करना ।

ट. सदस्य सोसायटियों के यथासमय निर्वाचन का संचालन सुनिश्चित करना ।

ठ. सदस्य सोसायटियों के साधारण सम्मेलनों के नियमित संचालन हेतु सहायता करना।

ड. सदस्य सोसायटियों के पालन हेतु आचार संहिता विकसित करना ।

ढ. सदस्य सोसायटियों की सक्षमता के मापदंड विकसित करना ।

ण. सदस्य सोसायटियों को विधिक सहायता एवं सलाह प्रदान करना ।

त. सदस्य सोसायटियों के हित में कोई भी अन्य सेवा प्रदान करना ।

(4) क. **अंश पूंजी**

बैंक की अधिकृत अंशपूंजी शासन द्वारा उपधारा ख एवं घ तथा नाममात्र के सदस्यों द्वारा उपधारा ग के अंतर्गत अधिदत्त अंशपूंजी को छोडकर **रू. 500 करोड़** होगी जो कि 100 रूपये प्रति अंश के मान से **500** लाख अंशों में विभक्त करके समस्त जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों, शीर्षस्थ सहकारी संस्थाओं, मल्टी स्टेट को आपरेटिव्ह सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी सोसायटियों, एवं ऐसी सहकारी संस्थाओं को निर्गमित किये जावेंगे जिनकी कोई शीर्ष संस्था नहीं हैं अथवा उनकी शीर्ष संस्था बैंक की सदस्य नहीं है।

ख. उपधारा (क) के अंतर्गत संचित अंशपूंजी के अतिरिक्त बैंक उपधारा (क) की अंशपूॅजी के 25 प्रतिशत सीमा तक 500 रूपये प्रति अंश के मान से शासन से अंशपूंजी प्राप्त कर सकता है, जिसमें बैंक को स्वतंत्रता होगी कि वह यथाइच्छा किसी भी समय पर पूर्ण अथवा भाग में प्रत्यावर्तित कर सके ।

इस अंशपूंजी पर भी जब तक कि शासन एवं शीर्ष बैंक के मध्य कोई अन्यथा सहमति न हो गई हो वही लाभांश प्राप्त होगा जो अन्य अंशधारियों को दिया जाएगा।

M.P. Rajya Sahakari Bank Maryadit BHOPAL

ग. उपविधि 'क' एवं 'ख' के अंतर्गत संचित अंशपूंजी के अतिरिक्त बैंक असीमित संख्या में 100 रूपये प्रति अंश के विमोच्य अंश उन व्यक्तियों, सहकारी संस्थाओं, लोकन्यास अथवा पंजीकृत फर्म कंपनी, अन्य निगमित निकाय एवं मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन पंजीकृत कोई सोसायटी को निर्गमित कर सकता है जो कि बैंक से ऋण लेने तथा म्युअचल अरेजमेंट स्कीम के अंतर्गत सदस्यता प्राप्त करने के एवं अन्य कारोबार करने के उद्देश्य से बैंक के नाममात्र के सदस्य बनाये गये हो ।

घ. उस अंशपूंजी की धनराशि के बदले में जो कि बैंक, राज्य में अन्य सहकारी **सोसायटियों** का अंशपूंजी में अभिदान करेगा । बैंक राज्य शासन से अंशदान उन प्रतिबंधों एवं शर्तों पर प्राप्त कर सकता है जो कि बैंक शासन एवं संबंधित सहकारी **सोसायटी** के मध्य निर्धारित हो।
अधिदत्त अंशपूंजी इस प्रतिबंध पर होगी कि संबंधित सहकारी सोसायटी अपने संचालक मण्डल में इस बैंक के एक या एक से अधिक प्रतिनिधियों के नामांकन के लिये सहमत हों।

(5) सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा धारित अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित होगा ।

(6) **बैंक का व्यवसाय निम्नानुसार होगा :–**

क. अधिकतम ऋणार्जन क्षमता के अध्याधीन, बैंक बंधपत्र या ऋण पत्र निर्गमित कर अथवा सदस्यों अथवा असदस्यों से निक्षेप प्राप्त कर या चल खाता खोलकर या बैंक की कोई भूमि, भवनों अथवा अन्य सम्पत्ति के बंधक द्वारा या अन्य किसी ऐसे साधनों द्वारा जो कि **संचालक मण्डल** उपयुक्त समझे, धन उत्थापित कर सकता है परन्तु प्रतिबंध है कि बैंक बंधपत्रों या ऋणपत्रों का निर्गमन **इस हेतु निर्धारित** नियमों के आधीन होगा ।

ख. बैंक अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत किसी भी केन्द्रीय बैंक को उन प्रतिबंधों एवं शर्तों पर, जो कि वह उचित समझे धन उधार दे सकता है। बैंक उसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत किसी भी सहकारी **सोसायटी** एवं व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार धन उधार दे सकता है।

ग बैंक म.प्र.राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित, भोपाल को बन्धकों की प्रतिभूति तथा अन्य परिसम्पत्तियों के हस्तान्तरण पर उधार दे सकेगा एवं इस संव्यवहार के लिए अन्य सभी आनुंषगिक कृत्य करेगा ।

घ. बैंक केन्द्रीय बैंकों एवं अन्य सहकारी **सोसायटियों** के अतिरिक्त सभी व्यक्तियों को जो बैंक के सदस्य हो, प्रन्यासी प्रतिभूतियों अथवा भारतीय प्रन्यास अधिनियम की धारा 20 में वर्णित अन्य प्रतिभूतियों पर स्वर्ण एवं रौप्य दंडिकाओं अथवा आभूषणों, सभी विपण्य पदार्थों एवं पण्य वस्तुओं, **जीवन बीमा पत्रों एवं डाकघरों के बचत पत्रों** की प्रतिभूतियों पर धन उधार दे सकता है या अधिविकर्ष प्रदान कर सकता है या नगद साख खोल सकता है।

M.P. Rajya Sahakari Bank Maryadit BHOPAL

ड. बैंक अपनी निधियों का विनियोजन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (1961 का 17) की धारा 44 अन्य किसी अधिनियम, जो इसके पश्चात इसका स्थान ले, के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत कर सकता है।

च. बैंक अन्तर्देशीय विनिमय व्यवहार जो कि विनिमय पत्रों या अन्य परिक्राम्य विलेखों चाहे वे प्रतिभूति सहित या रहित हों, के आहरण, परिग्रहण, पृष्ठांकन, विक्रय या अन्यथा व्यवहार द्वारा मांग विकर्षों के भुगतान, तार हस्तांतरणों एवं सम्प्रेषणों के संग्रहण का उपक्रम कर सकता है।

छ. बैंक अपने संगठकों अथवा अन्यों की ओर से, शासकीय एवं सुनहरी प्रतिभूतियॉ, अंश एवं संयुक्त पूंजी प्रमण्डलों तथा अन्य संयुक्त निकायों के ऋणपत्रों का क्रय एवं विक्रय कर सकता है।

ज. बैंक अपने संगठकों से सुरक्षित अधिरक्षण एवं ब्याज प्राप्ति हेतु शासकीय प्रपत्र, अंश ऋण पत्र, निक्षेप प्राप्ति पत्र एवं बहुमूल्य वस्तुऍ, स्वत्वाधिकार पत्र एवं बीमा पत्र आदि शुल्क सहित अथवा बिना किसी प्रकार के शुल्क के प्राप्त कर सकता है।

झ. बैंकिग नियमन अधिनियम (सहकारी समितियों के अर्थ प्रयोज्य) के अनुरूप कोई अन्य कार्य व्यवहार करना।

अ. बैक विदेशी मुद्रा का क्रय एवं विक्रय, जिसमें विदेशी बैकों के विनिमय पत्र (नोटस) भी सम्मिलित है, कर सकता है।

ट. किसी भी सरकार के उपक्रम या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी उपक्रम के साथ किसी विशेष कारोबार के लिये जिसमें औद्योगिक विनिधान, वित्तीय सहायता या विपणन और प्रबंधन विशेषज्ञता सम्मिलित है, सहयोग करना।

(7) 1. <u>सदस्यता</u>

बैंक की सदस्यता निम्न के लिये उन्मुक्त होगी :–

क. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक ।
ख. शीर्षस्थ स्तर की सहकारी संस्थाऍ ।
ग. मल्टी स्टेट को आपरेटिव्ह सोसायटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी एवं अन्य सहकारी संस्थाऍ जिनकी पृथक से कोई शीर्ष संस्था नहीं हैं अथवा उसकी शीर्ष संस्था बैंक की सदस्य नहीं है।
ड. राज्य शासन
च. कोई व्यक्ति या किसी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत निगम निकाय,जिन्हें केवल बैंक से ऋण प्राप्त करने, म्युचुअल एरेजमेंट स्कीम या अन्य व्यवसाय के उददेश्य से नाममात्र सदस्य बनाया जा सकेगा, परन्तु इन्हें बैंक के लाभ या आमसभा में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

M.P. Rajya Sahakari Bank BHOPAL

कोई भी व्यक्ति एवं ऐसी सहकारी **<u>सोसायटियॉ</u>** जो कि इन उपविधियों के अनुरूप बैंक की सदस्यता के लिये पात्र नहीं हैं अथवा रह जाती हैं, व्यक्तिगत रूप से बैंक के सदस्य नहीं हो सकेंगे। ऐसे अंशों की राशि बैंक द्वारा इन उपविधियों के पंजीकृत होने के बाद संबंधित व्यक्तियों अथवा सहकारी **<u>सोसायटियों</u>** को वापिस कर दी जावेगी ।

2. बैंक की सदस्यता सदस्य संस्था द्वारा धारित अंश वापिस लेने अथवा उसके परिसमापन की दशा में समाप्त हो जावेगी।

(8) **<u>अंश आवंटन, हस्तांतरण एवं विमोचन</u>**

क. बैंक के अंश हेतु प्रत्येक आवेदन पत्र आवेदक द्वारा अथवा उसकी ओर से हस्ताक्षरित होना चाहिये और उसको एक रूपये प्रवेश शुल्क की राशि देना होगी जो कि उसी स्थिति में लौटायी जायेगी, यदि सदस्यता हेतु आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जावे । आवेदित अंश से संबंधित अंशधन एकमुश्त राशि में देय होगा और आवेदन के साथ ही बैंक में निक्षेपित किया जावेगा। बैंक अंश हेतु आवेदन पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से जैसा कि वह उचित समझे, अस्वीकार कर सकता है और वह आवेदन की अस्वीकृति के आधार प्रकट करने को बाध्य नहीं होगा । किसी भी अंश या अंशों के अनावंटन की स्थिति में निक्षेपित अहार्य धन बिना ब्याज के आवेदन पत्र सहित लौटा दिया जायेगा ।

ख. राज्य शासन द्वारा नामांकित संचालक को कोई अंश धारण करना आवश्यक नहीं होगा ।

(9) अंश आवंटन एवं अंश राशि का पूर्ण भुगतान होने पर आवेदक बैंक का सदस्य हो जायेगा ।

(10) अंश या अंशों का प्रत्येक धारक अध्यक्ष एवं **<u>प्रबंध संचालक</u>** द्वारा अथवा तदकार्य हेतु तत्समय **<u>संचालक मण्डल</u>** द्वारा अधिकृत बैंक के अन्य किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र निशुल्क प्राप्त करने का अधिकारी होगा और यह प्रमाण पत्र आवंटित अंश या अंशों तथा राशि को निर्दिष्ट करेगे।

(11) अंश प्रमाण पत्र के हस्तांतरण पर प्रत्येक पृष्ठांकन बैंक के **<u>प्रबंध संचालक</u>** या तत्समय **<u>संचालक मण्डल</u>** द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

(12)

(क) उपविधि संख्या 4 के प्रावधानों की दृष्टि से अंश प्रत्याहरणीय नहीं है तथा अंशधारी अपना अंशधन प्रत्यादृत नही कर सकते । वे हस्तांतरणीय है परन्तु कोई भी अंश सदस्य को या किसी अन्य व्यक्ति को जिसे **<u>संचालक</u>**

<u>मण्डल</u> द्वारा सदस्यता के लिये अनुमोदित किया गया हो, के अतिरिक्त, किसी अन्य को विक्रय या उपहार द्वारा अन्यथा हस्तांतरित नहीं किया जा सकता।

(ख) हस्तांतरण पुस्तकें एवं सदस्यता पंजी उतनी अवधि के लिये बंद की जा सकती है जितना संचालक मण्डल योग्य समझे परन्तु यह अवधि प्रत्येक वर्ष में 30 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए और उस अवधि में वार्षिक विवरण एवं लेखापत्रक के विचारार्थ संबंधित साधारण सभा के तत्काल पूर्व के 21 दिनों की अवधि भी सम्मिलित होगी ।

(घ) हस्तांतरण का पंजीयन **<u>संचालक मण्डल</u>** द्वारा हस्तांतरिती के बैंक के सदस्य होने के अनुमोदन का निर्णायक साक्षी होगा।

(13) <u>सदस्यता से निष्काषन</u>

संचालक मण्डल किसी भी सदस्य को सदस्यता से निष्कासित कर सकता है जो –

1. कोई ऐसा कार्य, जिससे बैंक की साख को क्षति पहुंचने की संभावना हो या जिससे कुख्यात होने की संभावना हो, साशय करता है या

2. मिथ्या कथनों, द्वारा बैंक को जानबूझकर प्रवंचित करता है।

3. जो अपने शोध्यों का भुगतान करने में बार–बार व्यतिकम करता है या उपविधियों के किन्हीं भी उपबन्धों का अनुपालन करने में चूक करता है।

(14) संचालक मण्डल संबंधित सदस्य को उसके निष्कासन करने संबंधित प्रस्थापना की 7 दिवस की लिखित सूचना देगा तथा अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उसे सुनवाई का उचित अवसर भी प्रदान करेगा ।

(15) संचालक मण्डल द्वारा निष्काषित सदस्य को बैंक उसके द्वारा धारित अंश के प्रदत्त मूल्य में से बैंक के प्रति शोध्य कोई धन हो, तो उसे काटकर शेष राशि उसे दे देगा ।

(16) अधिकतम ऋण ग्रहण क्षमता

बैंक की अधिकतम ऋणअर्जन की सीमा उसको प्रदत्त अंशपूंजी तथा वैद्यानिक रक्षित कोष के 30 (तीस) गुने से सामान्यतः अधिक नहीं होगी तथा अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित नियमों के नियम उपबंधों के अधीन होगी । परन्तु इसमें बैंक की अमानत सम्मिलित नहीं होगी ।

(17) <u>निधियॉ</u> :– बैंक सामान्यतः निम्नलिखित स्त्रोतों से निधि प्राप्त करेगा

क अंशपूंजी

ख निक्षेप

ग अन्य ऋणार्जन

घ प्रवेश शुल्क एवं

ड. विविध प्राप्तियॉ

M.P. Rajya Sahakari Bank Maryadit BHOPAL

(18) साधारण सभा :–

बैंक सदस्यों की सभी साधारण सभाएँ बैंक के पंजीकृत कार्यालय में सम्पन्न होंगी प्रतिवर्ष कम से कम एक सभा जो कि वार्षिक साधारण सभा के नाम से ज्ञात होगी, अधिनियम एवं नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः मास के भीतर अर्थात् 30 सितम्बर के पूर्व सम्पन्न की जावेगी। उसमें निम्नलिखित कार्य संपादित किये जावेंगे:–

1. वार्षिक प्रतिवेदन, आगामी वर्ष की कार्ययोजना, स्थिति विवरण पत्रक, लाभ–हानि पत्रक एवं शुद्ध लाभ का वितरण पारित करना।
2. अनुमानित आय व्यय का तारण ।
3. अधिनियम, नियम एवं इन उपविधियों के अनुसार संचालकों का निर्वाचन यदि वह कराया जाना अपेक्षित हो गया है।
4. संपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार ।
5. यदि आवश्यक हो तो उपविधियों में संशोधन करना एवं
6. अधिनियम,नियम एवं इन उपविधियों के अंतर्गत आवश्यक कोई अन्य कार्य।
7. लेखाओं की संपरीक्षा हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति करना ।

(19) **संचालक मण्डल** जब भी उचित समझे, साधारण सभा की बैठक आमंत्रित कर सकता है तथा कम से कम 1/10 ऐसे सदस्य जो इन उपविधियों के प्रावधान के अनुसार उस समय के लिये मतदान के अधिकारी हों, की लिखित अभियाचना पर साधारण सभा की बैठक बुलाने के लिये बाध्य होगा ।

(20) सदस्यों द्वारा की गयी ऐसी कोई भी अधियाचना में आमंत्रित प्रस्तावित बैठक के उद्देश्य की स्पष्ट अभिव्यक्ति होनी चाहिये और वह बैंक के पंजीकृत कार्यालय के पते पर भेजी जावे या अर्पित की जावे ।

(21) ऐसी किसी भी अधियाचना प्राप्त होने पर संचालक मण्डल तत्काल साधारण सभा आमंत्रित करेगा, यदि संचालक मण्डल अधियाचना प्राप्ति के एक मास के भीतर साधारण सभा नहीं बुलाएं, तो अधियाचना करने वाले सदस्य पंजीयक को आवेदन देकर अधिनियम की धारा 50(2) के अंतर्गत साधारण सभा पंजीयक या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा आमसभा बुलवा सकेगा ।

(22) प्रत्येक साधारण सभा की बैठक के लिये न्यूनतम 14 दिन की सूचना, जिसमें बैठक का दिनांक, स्थान एवं समय और उद्देश्य तथा उसके कार्यनिर्दिष्ट करते हुये दी जावेगी । बैंक की पंजी में अभिलिखित पते पर

M.P. Rajya Sahakari Bank Maryadit * BHOPAL *

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल

प्रत्येक सदस्य को मध्य प्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम कमांक 34(3) के अंतर्गत सूचना भेजी जावेगी, एवं बैठक की सूचना स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करायी जावेगी । किसी भी सदस्य द्वारा किसी साधारण सभा की बैठक की सूचना अप्राप्त होने पर भी बैठक की कार्यवाही की वैधता प्रभावित नहीं होगी ।

(23) संचालक मण्डल द्वारा संयोजित प्रत्येक बैठक की सूचना प्रबंध संचालक द्वारा हस्ताक्षरित की जावेगी ।

(24) बैठक के अध्यक्ष की अनुमति के सिवा कोई अन्य कार्य जो कि बैंठक के संयोजन की सूचना में उल्लिखित न किया गया हो, उस बैठक में संपादित नहीं किया जावेगा।

(25) साधारण सभा की प्रत्येक बैठक के लिये गणपूर्ति हेतु सदस्यों का एक दसमांश या पचास सदस्य जो भी कम हों, आवश्यक होंगे।

(26) यदि किसी बैठक में उस बैठक के नियत समय के आधा घंटे के भीतर निमितार्थ पर्याप्त सदस्य न हो तो वह बैठक अध्यक्ष द्वारा साधारण सभा के लिये जारी किये गये सूचना पत्र में अंकित समय तक के लिये स्थगित कर देगा । ऐसी स्थगित साधारण सभा में मूल साधारण सभा हेतु प्रस्तावित विषयों पर ही विचार किया जा सकेगा । किसी अन्य विषयों पर नहीं । ऐसी साधारण सभा हेतु गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी परन्तु सदस्यों की लिखित अध्यपेक्षा पर बुलाई गई बैठक स्थगित नहीं होगी अपितु विघटित की जायेगी ।

(27) साधारण सभा की बैठक की अध्यक्षता <u>संचालक मण्डल</u> के अध्यक्ष द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में दोनों उपाध्यक्षों में से किसी एक के द्वारा की जायेगी। तीनों की अनुपस्थिति में सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया सदस्य साधारण सभा की अध्यक्षता करेगा ।

(28) किसी भी बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत की सम्मति से अध्यक्ष उस बैठक को समय–समय पर स्थगित कर सकता है, तथापि ऐसा स्थगित अधिवेशन/सभा मूल बैठक की तिथि से दो दिन से अधिक अवधि के लिये नहीं होगा और स्थगित अधिवेशन/सभा में उन कार्यो के सिवा, अन्य कोई कार्य सम्पादित नहीं किये जावेगा, जो ऐसी स्थगित बैठक में असमाप्त छोड़ दिये गये हो ।

(29) जब तक कि अन्यथा प्रावधित न हो, बैठक में प्रस्तुत प्रत्येक प्रस्ताव बहुमत से निर्णित होगा और मत समान होने की स्थिति में अध्यक्ष को अपने मत के सिवा एक निर्णायक मत देने का अधिकार होगा किन्तु उपबंधित है कि निर्वाचन के लिये प्रस्ताव की स्थिति में भाग्य पत्रक आहूवत किये जावेंगे ।

M.P. Rajya Sahakari Bank Mar... BHOPAL

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल

(30) किसी भी बैठक के अध्यक्ष के द्वारा की गयी, घोषणा, कि प्रस्ताव करोत्पालन द्वारा पारित हो गया है अथवा गिर गया है, निर्णायक होगी, यदि ऐसी घोषणा के तुरंत पश्चात बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न्यूनतम 5 सदस्यों द्वारा मतदान लिखित रूप से अभियाचित न किया गया हो, यदि मतदान अभियाचित किया गया हो तो यह अध्यक्ष के विवेकाधीन होगा कि मतदान यथासाध्य उसी दिन या उसके दूसरे दिन उस रीति से एवं उस समय पर जैसा कि अध्यक्ष निर्देशित करें, किया जावेगा तथा मतदान का परिणाम इस बैठक का संकल्प माना जावेगा, जिसमें मतदान अभियाचित किया गया हो ।

(31)

1. **मत** :– प्रत्येक सदस्य को उसके द्वारा किसी भी संस्था में धारित अंशों में अनपेक्ष एक ही मत का अधिकार होगा । मत निम्नानुसार दिये जावेगें :–

   पंजीयक एवं राज्य शासन अपने प्राधिकृत प्रतिनिधियों तथा सदस्य अपनी ओर से बैंक की आमसभा के लिये निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा मतदान करेंगे । प्रत्येक सदस्य का केवल एक ही मत होगा परन्तु नामांकित व्यक्ति किसी कमेटी के पदाधिकारियों के निर्वाचन हेतु मतदान नहीं कर सकेंगे ।

2. किसी केन्द्रीय बैंक अथवा सहकारी सोसायटी का प्रतिनिधि जो संचालक मण्डल/या अन्य समिति में सदस्य हो, उस समय मतदान करने में समर्थ नहीं होगा, जब उस सोसायटी या सोसायटियों, जिनका कि वह प्रतिनिधित्व करता हैं, से संबंधित कोई विषय संचालक मण्डल अथवा किसी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हो ।

(32) <u>संचालक मण्डल का गठन</u> :– बैंक का प्रबंध नीचे दिये अनुसार गठित संचालक मण्डल में निहित होगा :–

1- राज्य शासन द्वारा नामांकित एक संचालक ।

2. उपविधि क्रमांक 37 ब अनुसार निर्धारित योग्यता के अध्याधीन बैंक की सदस्य संस्थाओं के प्रतिनिधि अपने में से सहकारी अधिनियम एवं नियम के प्रावधानानुसार दो संचालक (वृत्तिक) का निर्वाचन करेगें ।

   परंतु यदि संचालक (वृत्तिक) अपेक्षित संख्या में निर्वाचित नहीं होते, तो बैंक का संचालक मण्डल उन्हें सहयोजित करेगा।

3. **बैंक के सदस्य जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के प्रतिनिधियों से 10** संचालकों का निर्वाचन निम्नानुसार समूहवार होगा :–

1. भोपाल –होशंगाबाद राजस्व संभाग से 02 संचालक।
2. ग्वालियर – चंबल राजस्व संभाग से 02 संचालक।
3. रीवां – शहडोल राजस्व संभाग से 02 संचालक।
4. इन्दौर राजस्व संभाग से 01 संचालक।
5. उज्जैन राजस्व संभाग से 01 संचालक।
6. जबलपुर राजस्व संभाग से 01 संचालक।
7. सागर राजस्व संभाग से 01 संचालक।

कमांक 1, 2 एवं 3 के समूहों से 02 संचालकों का निर्वाचन किया जायेगा परन्तु प्रत्येक संभाग से 01 संचालक का निर्वाचन अनिवार्य होगा ।

4 बैंक में केन्द्रीय बैंकों के अतिरिक्त अन्य सदस्य सोसायटियां अपने प्रतिनिधियों में से एक संचालक का निर्वाचन करेगी। परन्तु इस वर्ग से निर्वाचित संचालक विनिर्दिष्ट पद धारण नहीं कर सकेगा ।

5 प्रबंध संचालक पदेन ।

6 मुख्य महाप्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो उप महाप्रबंधक के पद से कम न हो । पदेन संचालक होगा।

7 प्रत्येक निर्वाचित संचालक को नाबार्ड द्वारा निर्धारित अनुबंध प्रपत्र पर अपने से संबंधित जानकारी देना अनिवार्य होगा। इस हेतु संचालक मण्डल द्वारा गठित उपसमिति संचालकों द्वारा प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर संतुष्ट हो सकेगी।

(33) संचालक मंडल का निर्वाचन अधिनियम एवं नियम के अनुसार होगा ।

(34) अध्यक्ष एवं दो उपाध्यक्ष, संचालक मंडल द्वारा संचालकों में से निर्वाचित किए जावेगें । अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में से दोनो में से कोई एक उपाध्यक्ष **संचालक मण्डल** की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और यदि अध्यक्ष एवं दोनो उपाध्यक्ष, **संचालक मण्डल** की बैठकों से अनुपस्थित हो तो उपस्थित संचालकगण अपने मध्य में से किसी एक को अध्यक्षता हेतु चुनेंगे । अध्यक्ष की मृत्यु या पदावधि के काल में निवृत्त होने की स्थिति में **संचालक मण्डल** दूसरा अध्यक्ष निर्वाचित करेगा, जो अपने पूर्वानुवर्ती की शेष अवधि के लिए पदासीन रहेगा ।

(35) **संचालक मण्डल** का कार्यकाल उस तारीख से जिसको **संचालक मण्डल** का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पॉच वर्ष का होगा परन्तु जहॉ किसी **सोसायटी** को अतिष्ठित या निलंबित किया गया है, किसी न्यायालय के या पदाधिकारी के आदेश के फलस्वरूप पुनः स्थापित हो जाती है वहॉ वह

M.P. Rajya Sahakari Bank Maryadit ★ BHOPAL ★

कालावधि जिसके दौरान वह **सोसायटी** यथा स्थिति अतिष्ठित, निलंबित या पद पर नही रही है पूर्वोक्त कार्यकाल की गणना करने में अपवर्जित कर दी जावेगी।

(36) संचालकों की संख्या मे से किसी भी कारण से घटित आकस्मिक या अंतरिम पद रिक्त की पूर्ति **संचालक मण्डल** द्वारा अधिनियम नियम एवं उपविधि के प्रावधानों की संगति से की जावेगी ।

राज्य शासन द्वारा नामांकित संचालक के रिक्त पद की पूर्ति राज्य शासन द्वारा की जावेगी ।

(37)

अ. अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / संचालक पद धारण हेतु निर्हताऐं :

1. बैंक का कोई संचालक अपने पद पर नहीं रहेगा, यदि वह उस केन्द्रीय सहकारी बैंक या सोसायटी जिसका कि वह प्रतिनिधित्व करता है, का सदस्य न रहे अथवा स्वयं या जिस सोसायटी / बैंक का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वह **यदि प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था का प्रतिनिधी है तो** 12 माह से अधिक का कालातीत हो गया हो **या अन्य सहकारी सोसायटी/सहकारिता का प्रतिनिधी है तो 90 दिवस से अधिक का कालातीत हो गया है** अथवा उसका प्रतिनिधित्व समाप्त कर दिया गया हो।
2. **म.प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 50(क) एवं नियम 1962 के** नियम कमांक 44 एवं 45 में अथवा अन्य किन्ही प्रावधानों के अनुसार अयोग्य हो गया हो ।
3. कोई भी व्यक्ति संस्था में अध्यक्ष या सभापति अथवा उपाध्यक्ष / उपसभापति के रूप में निर्वाचन के पात्र नहीं होगा, यदि वह संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य या जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगरीय स्थानीय निकाय, मण्डी बोर्ड या मण्डी समिति में कोई पद धारण करता है ।
4. कोई भी व्यक्ति संस्था में किसी विनिर्दिष्ट पद पर निर्वाचित होने के लिये पात्र नहीं होगा और उस रूप में अपना पद धारण करने से परिविरत हो जायेगा, यदि वह उस सोसायटी में कोई विनिर्दिष्ट निर्वाचित पद दो लगातार कार्यकालों तक या दस वर्षों की लगातार कालावधि तक, इनमें से जो भी कम हो, धारण कर चुका हो। परन्तु किसी व्यक्ति को ऐसे विनिर्दिष्ट पद पर तब तक पुनः निर्वाचित नहीं किया जायेगा जब तक कि पूरे कार्यकाल के बराबर की कालावधि का अवसान न हो गया हो ।
5. संचालक मण्डल की 3 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहे और उसकी अनुपस्थिति को संचालक मण्डल द्वारा माफ न किया गया हो ।

M.P. Rajya Sahakari Bank Maryadit BHOPAL

ब. संचालक (वृत्तिक) पद हेतु अहर्ताऐं:

संचालक पद धारण करने के पात्र कोई भी व्यक्ति संचालक (वृत्तिक) पद के लिये पात्र होगा, जिसे निम्न क्षेत्रों में से किसी एक क्षेत्र में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव हो:

1) एकाउन्टेंसी (योग्यता प्राप्त चार्टर्ड एकाउन्टेट / कास्ट एकाउन्टेंट)
2) कृषि (कृषि में स्नातक / स्नातकोत्तर / कृषि अभियंता (इंजीनियर)
3) बैकिंग (वरिष्ठ प्रबंधन के स्तर पर कार्य, स्नातक की उपाधि प्राप्त)
4) वित्त / अर्थशास्त्र / वाणिज्य / व्यवसायिक प्रबंधक (सी.एफए / अर्थशास्त्र / वाणिज्य / वित्त / प्रबंधन में स्नातकोत्तर, एम.बी..ए.)
5) विधि (विधि स्नातक / स्नातकोत्तर)

(38) संचालक मण्डल की बैठक आवश्यकतानुसार होगी तथा वर्ष में कम से कम चार बार आवश्यक होगी । संचालक मण्डल की कोई भी बैठक तब तक नहीं होगी, जब तक की कम से कम दस दिन की सूचना संचालक मण्डल के प्रत्येक सदस्य को न दे दी गयी हो । यह सूचना लिखित होगी। प्रत्येक संचालक के पंजी में लिखित पते पर डाक प्रेषण प्रमाण पत्र के अंतर्गत भेजी जावेगी। संचालक मंडल की बैठक के लिये गणपूर्ति संचालक मंडल के कुल सदस्यों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक होगी। आकस्मिक बैठक विहित कारणों से 3 दिवस की पूर्व सूचना पर बुलाई जा सकेगी ।

यह भी कि अत्यावश्यक विषय होने पर परिभ्रमण बैठक की जा सकेगी जिसमें आधे से अधिक संचालकों के हस्ताक्षर अनिवार्य होंगे। ऐसे परिभ्रमण निर्णय की पुष्टि आगामी नियमित बैठक में अनिवार्यतः कराई जावेगी ।

(39) संचालक मण्डल के कृत्य, चाहे संचालक मण्डल में कोई भी पद रिक्त क्यों न हो, उसी प्रकार वैध होंगे, जैसे कि ऐसी पद रिक्त का अस्तित्व ही नहीं था ।

(40) बैंक का कार्यव्यवहार संचालक मण्डल द्वारा संचालित एवं प्रबंधित होगा जिसे कि समस्त अधिकार होंगे और जो उनका प्रयोग करेगा और वे सभी प्रकार के समझौते में प्रविष्ठ होंगे सभी प्रकार की व्यवस्था करेंगे, सभी कार्यवाही करेंगे एवं सभा के कृत्य तथा बातें जो कि बैंक के कार्यो के यथोचित प्रबंध के लिए उचित एवं आवश्यक हो तथा उन सभी उद्देश्यों के पालनार्थ जिनके लिए बैंक स्थापित किया गया है एवं उसके हितों की सुरक्षा एवं प्रगति के लिए उसके अर्थ निर्मित अधिनियम एवं प्रावधानों के अंतर्गत एवं इन उपविधियों के तथा बैंक द्वारा उचित ढंग से पारितं एवं पंजीयक द्वारा अनुमोदित उनके अनवर्ती संशोधनों के अंतर्गत कार्य करेंगें ।

(41) **संचालक मण्डल के अधिकार एवं कर्तव्य :—** बैंक का समस्त प्रबंध कार्य संचालक मण्डल में निहित होगा । इन उपनियमों द्वारा प्रदत्त

M.P. Rajya Sahakari Bank Maryadit * BHOPAL *

सामान्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना संचालक मण्डल के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्त्तव्य होगे :–

1. साधारण सभा की बैठक में सदस्यों द्वारा प्रदत्त पूर्व स्वीकृति एवं पंजीयक के पूर्व अनुमोदन सहित समय समय पर बैंक की अंशपूंजी की वृद्धि करना ।

2. उतने अंशों को जो कि अनभिदत्त है उनकी पूर्ण धनराशि के शोधन पर ऐसे व्यक्ति को जिन्हें वे अपने परम विवेक से योग्य समझे आवंटित करना ।

3. किसी भवन या भूमि का (चाहे अग्रहार पट्टघृत या अन्यथा) किसी व्यक्ति से उस पर गृह या गृहों सहित या रहित भवन या भवनों सहित या रहित क्रय करना, मोल करना, पट्टे पर लेना या अन्यथा अवाप्त करना और कोई भवन या भवनों को बैंक गृह अथवा गृहों, कार्यालय या कार्यालयों प्रबंधक अथवा बैंक की सेवा में रत किसी अन्य व्यक्ति के लिये निवास हेतु खड़ा करना, रचना करना एवं निर्माण करना या उनमें परिवर्तन करना और ऐसी भूमि एवं भवनों का नगद या अन्यथा भुगतान करना, चाहे वे खरीदे हुये पट्टे पर लिये हुये या अवाप्त किये हुए या बैंक द्वारा रचित या निर्मित हो और बैंक के कर्मचारी वर्ग के सदस्यों जिन्हें नाममात्र के सदस्यों के रूप में स्वीकृत कर लिया गया हो, निवास के अर्थ गृहों के निर्माण अथवा क्रय के लिये नियमों के अनुसार ऋण या अन्य विकर्ष अग्रिम देना ।

4. बैंक, गृह कार्यालय एवं सभी वस्तुओं सहित निवास जो कि संचालक मण्डल बैंक के कार्य व्यवहार के संचालन हेतु आवश्यक या सुविधाजनक समझे, के लिये आवश्यक सभी उपस्कर एवं अन्य आवश्यक वस्तुएँ क्रय करना ।

5. इन उपविधियों एवं अधिनियम वह अधिनियम जो इसके पश्चात इसका स्थान ले एवं उसके अंतर्गत निर्मित **नियमों** के अनुसार तथा प्रावधानों के अधीन समय समय पर बैंक के व्यापार के लिये जो भी आवश्यकता पड़े धनराशि उत्थापित करना या ऋर्णाजन करना ।

6. बैंक की ओर से सभी भाटकों का शोधन करना तथा सभी अनुबंधित प्रतिबंधों एवं किसी पट्टे के द्वारा, जो कि किसी को प्रदत्त किया जावे अथवा जो अभिहस्तांकित हो या अन्यथा बैंक द्वारा अप्राप्त हो, आरक्षित एवं अनर्विष्ट समझौते का पालन करना ।

बैंक के किसी भवन सामग्रियों या अन्य सम्पत्तियों या कोई भी प्रतिभूतियॉ चाहे पृथक–पृथक अथवा संयुक्त रूपेण ऐसी अवधि के लिये एवं ऐसी सीमा तक, जो कि उचित समझे, बीमांकित कर रखना या बीमा कराना या उसके अधिकार के अनुसार प्रभावित किन्ही भी बीमापत्रों का विक्रय अभिहस्तांकन अध्यर्पण या विरत करना ।

7. बैंक के किसी भवन सामग्रियों या अन्य सम्पत्तियों या कोई भी प्रतिभूतियाँ चाहे पृथक–पृथक अथवा संयुक्त रूपेण ऐसी अवधि के लिये एवं ऐसी सीमा तक, जो कि उचित समझे, बीमांकित कर रखना या बीमा कराना या उसके अधिकार के अनुसार प्रभावित किन्ही भी बीमापत्रों का विक्रय अभिहस्तांकन अध्यर्पण या विरत करना ।

8. शीर्ष बैंक में निम्नलिखित अनुपात में धारित अंशों के आधार पर ऋण दिये जायेंगे :–

   1. **जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों हेतु :–** विगत वर्ष के उधार लिए गए ऋणों के अधिकतम शेष भाग पर न्यूनतम 5 प्रतिशत से कम न हो, अंशधारित करना अनिवार्य होगा । परन्तु किसी प्रकरण विशेष में संचालक मण्डल विचार कर इसमें परिवर्तन कर सकेगा ।

   2. **सहकारी सोसयटियों (जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों को छोड़कर) :–** उधार ग्रहण के उस अनुपात में, जो संचालक मण्डल की स्वीकृति से निर्धारित हो, अंश धारण करना अनिवार्य होगा । संचालक मण्डल को यह अधिकार होगा कि यदि वह आवश्यक समझे तो इसी अनुपात में परिवर्तन कर सकता है।

9. उपविधि संख्या 6 (घ) के अधीन केन्द्रीय बैंकों एवं सहकारी **सोसायटियों** के अतिरिक्त अन्य सभी व्यक्तियों को धन उधार देना या अधिविकर्ष स्वीकार करना या नगद साख खोलना ।

10. अवशिष्ट अतिरिक्त निधि के उचित विनियोजनार्थ भारत शासन या राज्य शासन या भारतीय प्रन्यास अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (अ) (ब) (स) एवं (द) में निर्दिष्ट अन्य प्रतिभूतियाँ कय करना एवं विक्रय करना तथा सहकारी **सोसायटियों** एवं उनके संगठकों के लिये प्रतिभूतियों के कय एवं विक्रयार्थ अभिकर्ता के रूप में कार्य करना तथा संघटकों से सुरक्षित अधिरक्षण एवं ब्याज की उगाही हेतु शासकीय पत्र, अंश ऋण पत्र एवं निक्षेप प्राप्ति पत्र प्राप्त करना तथा सुरक्षित अभिरक्षाणार्थ मूल्यवान वस्तुएँ स्वत्व अधिकार पत्र, बीमा पत्रादि सशुल्क अथवा बिना शुल्क के स्वीकार करना ।

11. सभी विलेखों, करार पत्रों, उद्वरणों , प्राप्ति पत्रों एवं अन्य अभिलेख पत्रों जो कि बैंक के कार्य व्यवहार के लिये आवश्यक या इष्टकर हो का निष्पादन करना ।

12. कालातीत ऋणों के प्रकरणों पर विचार करना एवं उन ऐसी व्यवस्था बताते हुए आदेश देना जो कि तत्संबंधी हानि की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो।

13. बैंक के कर्मचारी सेवानियमों के प्रावधान के अंतर्गत कर्मचारियों की नियुक्ति, निलंबन, निष्काषन या अन्यथा दंड देना अथवा कार्यवाही करना उनका पारिश्रमिक निश्चित करना, वेतन वृद्धि करना तथा प्रतिनियुक्ति पर

पदस्थ सेवायुक्त के संबंध में ऐसे सेवायुक्त के मूल सेवा नियोजक के पूर्वानुमोदन के अधीन होगा।

14. किसी ऋण अथवा दावे के संबधं में समझौता करना अथवा उसे मध्यस्थ के निर्णय के व्यवस्थार्थ प्रेषित करना या किसी ऋण के शोधन हेतु समय देना।

15. ऐसे सभी कृत्यों एवं वादों जिन्हें **संचालक मण्डल** आवश्यक उचित समझे, को प्रारंभ करना, स्थापित करना, अभियोजित करना एवं प्रतिरक्षित करना तथा समझौता करना।

16. इन उपविधियों के अनुसार बैंक की ओर से उसके अंशों का एकत्रीकरण एवं विमोचन करना।

17. बैंक की सामान्य सभा की बैठक, जब भी आवश्यक हो आमंत्रित करना तथा वार्षिक सामान्य सभा के समक्ष 31 मार्च के पूर्व तक का यथा विधि अंकेक्षित वार्षिक पत्रक तथा लाभ हानि लेखा तथा वार्षिक आय एवं व्यय का अनुमान पत्रक एवं पूर्व वर्ष के कार्यकलापों का संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

18. बैंक की निधियॉ अधिनियम के अनुसार या इसके पश्चात उसका स्थान लेने वाले किसी अन्य अधिनियम के संबंधित प्रावधान अंतर्गत विनियोजित करना।

19. बैंक के स्वत्वाधीन किसी सम्पत्ति का विक्रय, बंधक, दान–पट्टे, मुखबंधक या अन्यथा पंजीकरण या पंजीकरण या पृष्ठांकन द्वारा अंतरण करना, परन्तु किसी भी अचल सम्पत्ति का विक्रय या दान पंजीयक की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं किया जायेगा।

20. विनिमय विपत्रों या अन्य परिकाम्य विलेखों को प्रतिभूति सहित या प्रतिभूति रहित आहरण स्वीकार, पृष्ठांकन, परिकामण, विकय करना या अन्यथा व्यवहार में लाना एवं अपने संगटकों एवं अन्यों की ओर से शासकीय एवं अन्य सुनहरी प्रतिभूतियों , संयुक्त पूंजी प्रमंडलों एवं अन्य निगम निकायों के अंशों तथा ऋण पत्रों को कय एवं विकय करना।

21. बैंक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालकों एवं अधिकारियों को बैंक के खाते पर व्यवहार करने हेतु अधिकृत करना और उन निर्देशों के अधीन, जो कि दिये जावें, वचन पत्र, बैंक के नाम पर ली हुई अथवा बैंक द्वारा धारित शासकीय एवं अन्य प्रतिभूतियॉ, कय विकय वचनबन्ध, पृष्ठांकित एवं हस्तांतरित करना, धनादेश एवं अन्य परिकाम्य विलेखों पर हस्ताक्षर एवं पृष्ठांकन करना, तथा सभी खातों के सभी प्राप्ति पत्रों या बैंक के व्यापार से संबंधित अन्य अधिपत्रों पर हस्ताक्षर करना ।

M.P. Rajya Sahakari Bank ... BHOPAL

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल

22. बैंक के सेवायुक्तों के लिये अधिलाभांश शोधन अधिनियम 1965 (**Payment of Bonus Act**) तत्समय अधिप्रचलित अन्य किसी विधि के प्रावधानों के अनुसार अधिलाभांश के शोधन की स्वीकृति देना ।

23. बैंक प्रबंधन हेतु आवश्यकतानुसार उप समितियों का गठन करना, जिसमें निम्न उप समितियाँ अनिवार्यतः गठित की जावेगी –

(I) ऋण उप समिति
(II) आंतरिक अंकेक्षण उप समिति
(III) स्टाफ/केडर समिति

प्रत्येक उप समिति में राज्य शासन द्वारा नामांकित एक प्रतिनिधि होगा एवं अध्यक्ष सहित संचालक मण्डल द्वारा तय किये गये तीन संचालक होगें, परन्तु स्टाफ/केडर समिति का गठन सेवा नियमों के अनुरूप होगा । अन्य उपसमितियों का गठन आवश्यकतानुसार एक निर्धारित अवधि के लिए होगा, निर्धारित अवधि के उपरान्त ये उपसमितियाँ स्वतः समाप्त हो जावेगी ।
उक्त सभी उपसमितियों में प्रबंध संचालक सदस्य/सचिव होंगे ।

24. अपने किन्हीं या सभी अधिकारों को गठित उप समितियों, संचालक मण्डल के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, प्रबंध संचालक,या बैंक के किसी अन्य अधिकारी के प्रति प्रत्यायोजन हेतु इन प्रतिबंधों के अधीन अधिकृत करना, कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, प्रबंध संचालक, या बैंक का अन्य कोई अधिकारी प्रत्यायोजित अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार करेंगे कि संचालक मण्डल द्वारा निर्मित किन्हीं विनियमों या आदेशों का उल्लंघन न हो ।

25. बैंक के कर्मचारियों के लाभ के लिये भविष्य निधि एवं निवृत्त उपहार निधि स्थापित करना एवं उसे सहायता देना ।

26. **संचालक मण्डल** द्वारा समय--समय पर तदर्थ विरचित नियमों के अधीन बैंक के कर्मचारियों को अग्रिम देना ।

27. पंजीयक के अनुमोदन के अधीन, किसी केन्द्रीय बैंक का कार्यभार ग्रहण करना या उसकी व्यवस्था में इस प्रकार भाग लेना, बैंक के हितों के संरक्षण के लिये आवश्यक है ।

28. क. केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं अन्य सहकारी **सोसायटियों** के कार्य व्यवहारों को निरीक्षण करना ।

ख. केन्द्रीय सहकारी बैंकों सम्बद्ध **सोसायटियों** .एवं अन्यों से नियतकालिक प्रतिवेदन एवं प्रविवरण बुलाना और उन प्रविवरणों के प्रारूप निर्धारित करना ।

29. उन निबंधनों एवं शर्तों को निश्चित करना जिन पर संचालक मण्डल केन्द्रीय बैंकों एवं सोसाइटीज को अंशपूंजी को यथा आवश्यकता अभिदान दे सकता है ।

30. बैंक को जहां संचालक मण्डल आवश्यक समझे, उन शाखाओं के मुख्यालय में स्थानीय समितियां नियुक्ति करना तथा उन्हें संचालक मण्डल के वे अधिकार जो कि शाखा के व्यवसाय के संचालन के लिये संचालक मण्डल द्वारा अनुशंसित किये गये हों, प्रत्यायोजित करना ।

31. किसी **सहकारी** सोसायटी की परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों को पंजीयक के पूर्वानुमोदन से अधिग्रहण करना ।

32- बैंक के प्रशासन एवं व्यवसाय के संचालनार्थ संचालक मण्डल की स्वीकृति के अधीन नियम एवं विनियम विरचित करना ।

33. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं संचालकों को पद से हटाना ।

34. नाबार्ड, आर.बी.आई., राज्य शासन एवं पंजीयक द्वारा दिये दिशा निर्देशों के अध्याधीन ऋण नीति बनाना।

35. नाबार्ड एवं म.प्र. शासन के साथ शीर्ष बैंक के व्यवसाय वृद्धि हेतु मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टेंडिंग के लक्ष्य तय करना एवं समीक्षा करना ।

(42)

साधारण सभा/संचालक मण्डल एवं अन्य उप समितियों की बैठकों कार्यवाहियों का विवरण विशेष रूप से तदर्थ रखी गई कार्यवाही पुस्तिका में अभिलिखित किया जावेगा। ऐसी सभी कार्यवाही विवरण उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किये जावेंगे जिसने सामान्य सभा या संचालक मण्डल या उप समिति की बैठकों में, जिनमें कि वे कार्यवाहियॉ सम्पादित की गयी हो या अनुवर्ती बैठक में जिसमें कि वह कार्यवाही विवरण पढ़ा गया हो या पुष्टि किया गया हो, अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित की जावेगी। उपरोक्तानुसार हस्ताक्षरित होने के अर्थ अभिप्रेत समस्त कार्यवाही विवरण समस्त प्रयोजनों के लिये चाहे प्रस्ताव का वास्तविक एवं नियमित कारण प्रथम दृष्टया साख तथा कार्यवाहियों के वास्तविक एवं नियमित कार्य एवं घटनायें तथा अभिलेखन हेतु अधिप्रेत अन्य विषय और जिस बैठक में उसका घटित होना प्रतीत हो, उसकी नियमितता तथा अध्यक्षता एवं अध्यक्ष के रूप में हस्ताक्षरित प्रतीत होने वाले व्यक्तियों के हस्ताक्षर वैध होंगे ।

(43) अध्यक्ष के कर्तव्य एवं अधिकार :– उन प्रस्तावों के अधीन जिन्हें **संचालक मण्डल** समय–समय पर एतदर्थ पारित करें, अध्यक्ष निम्नलिखित अधिकारों को प्रयोक्त करेगा :–

M.P. Rajya Sahakari Bank Maryadit BHOPAL

1. सामान्य सभा, संचालक मण्डल एवं उप समितियों की बैठक की अध्यक्षता करना ।
2. संचालक मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रत्यायोजित/प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

(44)

क. जबकि अध्यक्ष अपने कार्यों को अनुपस्थिति, अस्वस्थता या अन्य किसी कारण से संपादित करने में असमर्थ हो तो दोनों में से कोई एक उपाध्यक्ष उसके कार्यों को संपादित करेगा परन्तु यह संचालक मण्डल की अनुमति के सिवा कोई नीति संबंधी निर्णय नहीं देगा ना ही कार्यप्रणाली में कोई परिवर्तन करेगा ।

ख. उन दशाओं में जबकि बैंक का अध्यक्ष एक स्थान पर निवास करता हो और दोनों उपाध्यक्ष अन्य स्थान पर निवास करते हों और यदि **संचालक मण्डल** यह ठीक समझे कि सबके द्वारा अधिकारों का प्रयोक्त करना एवं कार्यपालन करना आवश्यक है तो **संचालक मण्डल** उनके मध्य में कार्यों का विभाजन कर सकता है जो भी कार्य एवं कियाकलाप के क्षेत्र उन्हें निर्धारित किये जायेंगे उनमें प्रत्येक अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोक्त एवं कर्तव्यों को उपपादित करेगा ।

(45) **महाप्रबंधक एवं अन्य अधिकारियों की नियुक्ति**

बैंक में महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक एवं प्रबंधक होंगे, जो कि सेवा नियमानुसार स्टाफ समिति द्वारा नियुक्त किये जावेंगे। वे उन कर्त्तव्यों को प्रभृत एवं अधिकारों को प्रयोक्त करेंगे, जो उन्हें संचालक मण्डल/या प्रबंध संचालक द्वारा प्रत्यायोजित किये गये हों। बैंक के प्रमुख अधिकारी (की पर्सनल) की कर्तव्य सूची संचालक मण्डल द्वारा निर्धारित की जावेगी ।

(46) अधिनियम के प्रावधान के अनुसार नियुक्त एवं पदस्थ प्रबंध संचालक में बैंक का सामान्य प्रबंधन, संचालक मण्डल के नियंत्रण अधीक्षण एवं निर्देशन के अधीन निहित होगा।

(47) प्रबंध संचालक के अधिकार :–

प्रबंध संचालक के अधिकार एवं कर्तव्य उन प्रस्तावों के अधीन जो कि संचालक मण्डल उप समितियाँ समय–समय पर एतदर्थ पारित करें, प्रबंध संचालक निम्नांकित अधिकारों को प्रयोग करेगा :–
संचालक मण्डल के अधीक्षण नियंत्रण और निर्देशन के अध्यधीन रहते हुये बैंक के सामान्य प्रशासन के लिये उत्तरदायी होगा ।

M.P. Rajya Sahakari Bank

2. बैंक की ओर से वाद प्रस्तुत करना अथवा बैंक की ओर से उसके विरूद्ध प्रस्तुत वादों का प्रतिरक्षण करने के लिए अधिकारी होगा ।

3. ऋण आवेदनों का परीक्षण करना एवं उन्हें ऋण उप समिति के सम्मुख विचारार्थ रखना ।

4. केंद्रीय बैंकों, **सोसायटियों**, संघों व्यक्तियों एवं अन्यों से ऋणों संग्रहणों या अंशिकाओं या कालातीत देयों के प्रत्यानन की प्रगति का पुनरावलोकन करना एवं अंकेक्षण टीप की तामीली समयावधि में निर्देशित करना।

5. संचालक मण्डल के निर्देशनों के अधीन सामान्य बैंकिंग व्यापार इन उपविधियों की कार्य भावनाओं के अंतर्गत संचालित करना ।

6. सामान्य सभा/संचालक मण्डल एवं अन्य समितियों की बैठकें उस रीति से जो कि निर्धारित हो, बुलाना एवं ऐसी सभा बैठकों में उपस्थित होना तथा कार्यवाही अभिलिखित करना ।

7. बैंक के वैतनिक कर्मचारी वर्ग को कार्यो में मार्गदर्शन करना, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना तथा मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम 1960 (1961 का 17) या अन्य अधिनियम जो कि इसके पश्चात् इसका स्थान लें उसके अंतर्गत निर्मित नियमों के अनुसार इन उपविधियों का पंजीयक द्वारा निर्धारित लेखों एवं पंजियों की व्यवस्था के लिये उत्तरदायी होगा।

8. सामान्यतः बैंक के उन कार्य व्यवहारों का पर्यवेक्षण एवं प्रबंध करना, जो कि उसे संचालक मण्डल द्वारा उपविधि संख्या 41 के अंतर्गत न्यस्त किये गये हों ।

9. म. प्र. शासन एवं नाबार्ड के साथ व्यवसाय वृद्धि हेतु मेमोरेण्डम आफ अण्डरस्टेंडिंग करना तथा उसके लक्ष्यों की पूर्ति कराना।

10. बैंक की व्यवसायिक आवश्यकताओं की दृष्टि से समय समय पर आकस्मिक तौर पर कर्मचारियों को सेवा में रखना, हटाना ।

11. बैंक के कार्य व्यवसाय संचालन हेतु नवीन बैंक खाते खोलना/बंद करना, बैंक के खातों में रखी जाने वाली अधिकतम राशि की सीमा निर्धारित करना, बैंक की शाखाओं में अधिकतम नगद राशि रखी जाने की सीमा निर्धारित करना ।

12. बैंक के व्यवसाय संचालन हेतु अत्यावश्यक कार्य होने पर बैंक हित में, बैंक व्यवसाय के संबंध में कोई विधि अनुसार निर्णय लेना ।

M.P. Rajya Sahakari Bank Maryadit BHOPAL

(48) <u>लाभ</u> :–

वार्षिक लाभों के एक चतुर्थांश के अन्यून लाभ बैंक के आरक्षित कोष में अग्रेन्यन किये जावेंगे, आरक्षित कोष का विनिधान या उपयोग ऐसी रीति में ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर किया जावेगा जैसे कि रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में अधिकथीत की जावें । आरक्षित कोष पंजीयक की स्वीकृति के सिवा किसी डूबत एवं हानि या अन्यथा पूर्ति करने के लिये अंतरित नहीं किया जावेगा ।

(49) आरक्षित कोष के लिये प्रावधान करने के पश्चात शेष बैंक द्वारा उसकी वार्षिक सामान्य सभा में निम्नानुसार विनियुक्त किया जा सकता है :–

क. डूबंत एवं संदिग्ध ऋणों के लिये तथा कृषि साख (स्थिरीकरण) कोष के लिये प्रावधान करते समय पश्चायुक्त कोष का प्रावधान वार्षिक लाभों में न्यूनतम 15 प्रतिशत होना चाहिये तथा अंश विमोचन कोष में कम से कम 20 प्रतिशत राशि होना चाहिये ।

ख. लाभांश की घोषणा में जो पंजीयक की बिना अनुमति के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

घ. बैंक के प्रायोजन के लिये अन्य कोई कोष निर्मित करने में ।

टिप्पणी :– कोषों का विभाजन यथासंभव उपरोक्त वर्णित प्राथमिकता क्रम में किया जावेगा।

(50) यदि कोई अंशधारी लाभांश की अभ्यर्थना उसकी घोषणा तिथि के छः वर्ष के अंदर नहीं करता तो उस लाभांश में उसके अधिकार समाप्त हो जावेंगे एवं ऐसा लाभांश बैंक को व्ययगत हो जायेगा ।

(51) बैंक का एक सामान्य मुद्रा चिन्ह होगा, जिसका प्रबंध संचालक/तथा संचालक मण्डल द्वारा अधिकृत अधिकारी के अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा उपयोग नहीं किया जावेगा ।

(52) सदस्य को बैंक द्वारा निर्वहनार्थ आवश्यक कोई भी सूचना लिखित दी जावेगी तथा सदस्य के पंजीयित डाक से प्रेषित की जायेगी या अर्पित की जायेगी ।

(53) बैंक को दी जाने वाली समस्त सूचनाऍ डाक द्वारा बैंक के पंजीकृत पते पर प्रेषित की जावेगी।

M.P. Rajya Sahakari Bank Maryadit BHOPAL

(54) समापन :–

मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 (1961 का 17वॉ) की धारा 69 के प्रावधानों के सिवाय बैंक, केवल परिसमापन के प्रश्नों के विचाराणार्थ विशिष्ट सभा में समवेत सदस्यों की स्वीकृति से ही समापित होगा ।

(55) उपविधियों में संशोधन आदि :–

साधारण सभा में उपस्थित सदस्यों के न्यूतनम दो तृतीयांश मतों के बहुमत के सिवाय, इसमें समाविष्ट कोई भी उपविधियों का परिवर्तन या विखंडन नहीं किया जावेगा और न कोई उपविधि परिवर्तित की जायेगी । ऐसी बहुमत द्वारा प्रस्तावित प्रत्येक परिवर्तन, संशोधन, विखंडन या परिवर्धन, पंजीयक को उसकी स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया जावेगा और उस तिथि से प्रभावी होगा, जबसे कि पंजीयक के अनुमोदन की सूचना प्राप्त हुई हो।

पंजीयक के पत्र कमांक – साख–एपी/463 दिनांक 21.01.1970, साख–विधि/ 2000 / पुर्नगठन/4015 दिनांक 30.10.2001, साख–एपी–1/2006/2471 दिनांक 04.09.2006, साख– एपी / 2009/1927 दिनांक 01.09.2009, साख/ए.पी./10 /117 दिनांक 13. 01.2010, साख/एपी/12/1238 दिनांक 06.06.2011, एवं साख/विधि/2014/2660 दिनांक 17.12.2014 द्वारा बैंक की प्रतिस्थापित एवं रजिस्ट्रीकृत की गयी संशोधित उपविधियॉ ।

M.P. Rajya Sahakari Bank Maryadit BHOPAL

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल